



REGIONAL RESEARCH INSTITUTE OF UNANI MEDICINE

(CENTRAL COUNCIL FOR RESEARCH IN UNANI MEDICINE)

(MINISTRY OF AYUSH, GOVT. OF INDIA)

Post Box 70, Shahjahan Manzil Near AMU Ridding Club, ALIGARH – 202 001

Tel. 0571-2704781, Fax 0571-2701399 / Email: rrium_aligarh@rediffmail.com

पत्रांक स०. 5-22 / 2021-22 / आर.आर.आई. / अली०. / प्रशा०. दिनांक 14.12.2021

सेवा में

महानिदेशक महोदय,
सी०.सी०.आर.यू०.एम०.
नई दिल्ली

267

विषय : निविदा के नियम और शर्तें परिषद परिषद की वैबसाईड पर
अपलोड कराने हेतु :-

महोदय,

एस.सी.एस.पी. मोबाईल हेल्थ कार्यक्रम के अन्तर्गत किराया वाहन की आपूर्ति
टेंडर द्वारा कराने हेतु उस से सम्बंधित नियम और शर्तें (सलगन) परिषद की वैबसाईड पर
उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

अत महोदय से निवेदन है कि उक्त नियम और शर्तें परिषद की वैबसाईड पर
अपलोड करने का कष्ट करें ताकि टेंडर की पूर्ण प्रक्रिया की जा सकें।

सलंगन :- उपरोक्त अनुसार

भवदीय

शीरी

(डॉ०. शीरी अफजा)

अनु०.अधि०.प्रभारी

आर.आर.आई.यू.एम, अलीगढ़

ML

ML

क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, अलीगढ़ वाहन सम्बंधी नियम एवं शर्तें

क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, अलीगढ़ को निम्न नियमों एवं शर्तों अनुसार वाहन उपलब्ध कराने हेतु।

1. ट्रेवलिंग ऐजेंसी का टेक्सी (वाणिज्य) में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
2. संस्थान को ऑट सीटर वाहन की आवश्यकता है जिस की आन्तरिक एवं बाहरी स्थिति अच्छी होनी चाहिए।
3. ट्रेवलिंग ऐजेंसी द्वारा सील बंद कुटैशन/कार्यालय मेल पर राशि प्रति दिन की दर से अंकित होना अनिवार्य है।
4. संस्थान द्वारा वाहन का प्रयोग प्रति दिन औसतन 30 किलोमीटर होगा।
5. वाहन से सम्बंधित व्यय (ड्राइवर का वेतन, डीजल/पेट्रोल, गाडी में टूट फूट) आदि की जिम्मेदारी फर्म की होगी।
6. यदि वाहन में कभी भी कोई खराबी आती है तो फर्म को तुरन्त अन्य वाहन की व्यवस्था कर के कार्य को पूर्ण करना होगा।
7. यदि वाहन से किसी भी समय कोई दुर्घटना होती है तो इस की पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी संस्थान/इस में बैठा स्टाफ इस का जिम्मेदार नहीं होगा।
8. वाहन से सम्बंधित सभी दस्तावेज एवं ड्राइवर के लाईसेंस की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि संस्थान में जमा करानी होगी।
9. भुगतान बिल प्रतिलिपि में प्रति दिन की दर से माह के अन्त तक संस्थान में प्रस्तुत करना होगा एवं संस्थान द्वारा भुगतान अग्रिम माह की दस तारीख तक ओन लाईन ट्रेवलिंग ऐजेंसी के नाम पर किया जायेगा।

श्रीरी
अनुसंधान अधिकारी प्रभारी
आर.आर.आई.यू.एम. अलीगढ़